

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला – रायपुर(छ.ग.)

– : आदेश :-

कागांक / ६७८ / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / २०२०

रायपुर, दिनांक ०७ / ०७ / २०२०

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीरागढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुराग जिला रायपुर में विकाराखण्ड आरंग अंतर्गत ग्राम नवागांव (थाना गंदिरहसौद) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1.	पूर्व में	श्री प्रकाश डहरियौं का मकान
2.	पश्चिम में	हॉउसिंग बोर्ड कालोनी
3.	उत्तर में	खाली मैदान
4.	दक्षिण में	खाली मैदान


A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

- उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वारा होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी /आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
- उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे।
- प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति Incident Commander द्वारा दी जावेगी।
- कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन/मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर Incident Commander को सूचित किया जावे।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना नपूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।
- कन्टेनमेंट जोन में शारान की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- जिला चिकित्सा एवं रवास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शारान के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा रौप्यपल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

B. कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौपा जाता है :—

1.	कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बेरिकेलिंग	—	श्री हेमंत अरोड़ा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्गाण विभाग, संगाग, कमांक 02 रायपुर (मो.नं. 87703 39293)
2.	लोक निर्गाण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेलिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति	—	श्री बी.एस.ठाकुर, वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर (मो.नं. 9424238769)
3.	कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था	—	श्री किरण कौशिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग, रायपुर (मो.नं. 98939 20256)
4.	घरों का एकिटव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मारक, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	—	श्रीमती गीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर (मो.नं. 9425516797)
5.	उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समर्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु Incident Commander	—	श्री विनायक शर्मा डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आरंग रायपुर (मो.नं. 94063 88880)
6.	गारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु	—	श्री सोनल गवाला थाना प्रभारी, थाना मंदिरहसौद रायपुर (मो.नं. 9479191051)


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



(जिला दण्डाधिकारी गहोदय द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
एवं अतिचिक्त जिला दण्डाधिकारी,
प्रियतंत्र विभाग, रायपुर
रायपुर (म. द.)

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अनुविभागीय अधिकारी(राजारव), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
11. श्री विनायक शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आरंग Incident Commander को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. श्री किरण कौशिक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. श्री सोनल ग्वाला, थाना प्रभारी, थाना मंदिरहसौद, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. श्री हेमंत अरोरा, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 02, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



Leaw
अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (द. ब.)